

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.४(२८)राज/वाद/१९

जयपुर, दिनांक ९/७/२०१९

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार श्री नौरतन गहलोत अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर/११३०/०१) को जिला एवं सेशन न्यायालय, मेड़ता, जिला नागौर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, मेड़ता, जिला नागौर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।


श्री दौलत सिंह राठौड़, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, मेड़ता जिला नागौर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

५०  
(चंचल मिश्रा)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, विधि।
- महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर / जोधपुर।
- राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।
- जिला एवं सैशन न्यायाधीश, मेड़ता जिला नागौर।
- जिला कलक्टर, नागौर।
- कोषाधिकारी, नागौर।
- संबंधित अभियोजक।
- अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
- प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित पत्रावली।

  
(चंचल मिश्रा)  
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(27)राज / वाद / 19

जयपुर, दिनांक ९/७/२०१९

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 32 के अनुसार विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, मेड़ता जिला नागौर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु श्री सुमेर सिंह बेड़ा, अधिवक्ता, एनरोलमेन्ट नं 05/1579/05 को विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, मेड़ता जिला नागौर के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

ए०  
(चंचल मिश्रा)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, मेड़ता जिला नागौर।
9. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, मेड़ता जिला नागौर।
10. जिला कलक्टर, नागौर।
11. कोषाधिकारी, नागौर।
12. संबंधित अभियोजक।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
14. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15. लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
16. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

*(Chanchal Mishra)*  
(चंचल मिश्रा)  
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(27)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक ९/८/२०१९

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 व लॉ एण्ड लीगल अफेर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15,16 एवं 17 के अनुसरण में तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 (1989 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गणपत लाल बेड़ा, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं 0 आर/1807/08) को विशिष्ट न्यायालय (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण), मेड़ता जिला नागौर में राज्य पक्ष की ओर से प्रकरणों की पैरवी करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा, अ.नि.प्र.), मेड़ता जिला नागौर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

श्री सुरेश चौधरी, विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा, अ.नि.प्र.) मेड़ता जिला नागौर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

४०  
(चंचल मिश्रा)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, मेड़ता जिला नागौर।
9. विशिष्ट न्यायाधीश (अजा/अजजा, अ.नि.प्र.), मेड़ता जिला नागौर।
10. जिला कलक्टर, नागौर।
11. कोषाधिकारी, नागौर।
12. संबंधित अभियोजक।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
14. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15. लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
16. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

९/८/१९  
(चंचल मिश्रा)  
शासन सचिव, विधि

—2—

12. संबंधित अभियोजक।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
14. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15. लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
16. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

*(चंचल मिश्र)*  
चंचल मिश्र १८  
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(27)राज / वाद / 19

जयपुर, दिनांक 9/1/2019

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार निम्नांकित अभिभाषकों को उनके नाम के सम्मुख पद व स्थान तथा मासिक रिटेनरशिप रूपये 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त किया जाता है :—

क्रमांक	नाम अभिभाषक	एनरोलमेन्ट नं०	पद नाम/स्थान
1	श्री रुस्तम अली	आर/61/01	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, मेडता जिला नागौर।
2	श्री महावीर विश्नोई	आर/2088/02	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं01, नागौर
3	श्री घनश्याम मेहरड़ा	आर/1345/05	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं02, नागौर
4	श्री अशोक कुमार	आर/1888/03	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, डीडवाना जिला नागौर

निम्नांकित अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

क्रमांक	नाम अभिभाषक	पद नाम
1	श्री नारायण पारीक	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, मेडता जिला नागौर।
2	श्री हनुमान पोटलिया	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं01, नागौर
3	सुश्री कान्ता बोथरा	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं02, नागौर
4	श्री मोहम्मद युनुस सलीम	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, डीडवाना जिला नागौर

आज्ञा से

(चंचल मिश्र)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
- राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- जिला एवं सैशन न्यायाधीश, मेडता जिला नागौर।
- अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश मेडता/सं0 1 व 2 नागौर/डीडवाना, जिला नागौर।
- जिला कलक्टर, नागौर।
- कोषाधिकारी, नागौर।

निरन्तर/-